



Affiliated to BCCI

bca@biharcricetassociation.com

कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की इमर्जेंट बैठक की कार्यवाही (MOM)

दिनांक: 09 जुलाई 2026 (09-07-2026)

समय: अपराह्न 4:00 बजे

स्थान: बीसीए कार्यालय, 45-C,

पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना-13

एवं

वेब मीटिंग (ऑनलाइन)

उपस्थित सदस्य

श्री हर्षवर्धन – मानद अध्यक्ष (अध्यक्षता) ऑनलाइन

श्री जियाऊल आरफिन – मानद सचिव

श्री अभिषेक नंदन – मानद कोषाध्यक्ष (ऑनलाइन)

सुश्री प्रिया कुमारी – मानद उपाध्यक्ष (ऑनलाइन)

श्री रोहित कुमार – मानद संयुक्त सचिव (ऑनलाइन)

श्री राजेश कुमार – जिला प्रतिनिधि (काउंसलर)

श्री सुनील कुमार – ICA प्रतिनिधि (पुरुष)

सुश्री शिखा सोनिया – ICA प्रतिनिधि (महिला)

अध्यक्षता

मानद अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के सफल संचालन हेतु शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

कोरम

मानद सचिव श्री जियाऊल आरफिन द्वारा कोरम की पुष्टि किए जाने के उपरांत बैठक विधिवत प्रारंभ की गई। उपस्थित सदस्यों की सहमति से बैठक बुलाने संबंधी पूर्व में जारी सूचना को अभिलेख पर लिया गया।

एजेंडा / निर्णय

एजेंडा संख्या-1 – To consider and confirm the minutes of the previous meeting(s) of the Committee of Management.



Affiliated to BCCI

bca@biharcricicketassociation.com

निर्णय: पिछली बैठक की कार्यवाही उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तथा सदस्यों को आवश्यक स्पष्टीकरण/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। पिछली बैठक की Minutes को, किसी वैधानिक संशोधन/सुधार की आवश्यकता न होने की स्थिति में, सदन द्वारा ध्वनिमत से पुष्टि, अंगीकार एवं अनुमोदित किया जाता है।

एजेंडा संख्या -2 – To consider and deliberate upon the ongoing legal and other pending matters concerning the Association and to take appropriate decisions thereon.

निर्णय: इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत अब तक के विधिक मामलों में लिए गए सभी निर्णयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मानद सचिव को वर्तमान एवं भावी सभी विधिक मामलों में आवश्यकता अनुसार अधिवक्ताओं की नियुक्ति, उनका मानदेय निर्धारित करने तथा आवश्यक प्रशासनिक एवं विधिक निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

एजेंडा संख्या -3- To consider and decide upon matters relating to the hosting of BCCI matches and the organisation of various cricket camps of the Bihar Cricket Association.

निर्णय: बैठक को अवगत कराया गया कि राजगीर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम का समय-समय पर सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता रहा है। मोईन-उल-हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के हो रहे कार्य के कारण बिहार सरकार के खेल विभाग को राजगीर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम का आवंटन प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे बीसीसीआई के घरेलू मैचों की मेजबानी सुनिश्चित की जा सके। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत मानद सचिव को BCCI घरेलू मैचों की मेजबानी, टीमों के आवासन, भोजन, परिवहन, क्रिकेट कैंपों तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। इस संबंध में मानद सचिव द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का अनुमोदित निर्णय माना जाएगा।

एजेंडा संख्या -4- To consider and accord approval to the expenditure already incurred and the proposed expenditure of the Association.

निर्णय: मानद कोषाध्यक्ष श्री अभिषेक नंदन ने एसोसिएशन द्वारा अब तक किए गए व्ययों का विवरण तथा BCCI घरेलू मैचों की मेजबानी हेतु प्रस्तावित बजट बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया। विस्तृत चर्चा के उपरांत पूर्व में किए गए व्ययों तथा प्रस्तावित बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदित एवं पारित किया गया।

एजेंडा संख्या -5- To review the status and progress of the construction and development of Moinul Haq Stadium and to pass such resolutions as may be deemed necessary.

निर्णय: मोईन उल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति से बैठक को अवगत कराया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए माननीय सचिव से अनुरोध किया कि उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में पुनर्निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए। सचिव ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के इस निर्णय का सम्मान करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया।



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

एजेंडा संख्या -6- To consider and approve the appointment of the General Manager (Cricket Operations) and the Chief Executive Officer (CEO) of the Association, including the approval of their remuneration and terms of engagement.

निर्णय: बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 02 जुलाई 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर General Manager (Cricket Operations) के पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 निर्धारित है तथा अब तक तीन (3) आवेदन प्राप्त हुए हैं। विस्तृत चर्चा के बाद General Manager (Cricket Operations/CEO) संबंधी निर्णय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की आगामी बैठक में लिया जाएगा।

एजेंडा संख्या -7- To consider and approve the trademark registration of the name, logo, and other intellectual property of the Bihar Cricket Association.

निर्णय: बीसीए मानद सचिव ने वर्तमान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नाम, लोगो (Logo) एवं अन्य बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) जो कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकृत वेबसाइट www.biharcricкетassociation.com पर प्रदर्शित है के ट्रेडमार्क पंजीकरण संबंधी समस्त कार्यों के निष्पादन हेतु जिला प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार को अधिकृत करने का प्रस्ताव रखा। ICA पुरुष प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार द्वारा श्री राजेश कुमार की सहमति प्राप्त किए जाने के उपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा श्री राजेश कुमार को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस कार्य हेतु अधिकृत किया। इस संबंध में श्री राजेश कुमार के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय एवं कार्य कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का अनुमोदित निर्णय एवं कार्य माना जाएगा।

एजेंडा संख्या -8-To consider and decide the finalisation of Vendors & Suppliers, in light of the advertisement published by BCA

निर्णय: इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में प्राप्त सभी वेंडर्स, आपूर्तिकर्ताओं एवं विज्ञापनकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकृत पैनल में निबंधित किया जाएगा।
2. सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को यह अधिकार प्रदान किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर पैनल में निबंधित संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य वेंडर, आपूर्तिकर्ता अथवा विज्ञापनकर्ता से न्यूनतम तीन प्रतिस्पर्धी कोटेशन प्राप्त कर कार्य आवंटित कर सकेंगे। इस संबंध में सचिव द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का अनुमोदित निर्णय माना जाएगा।
3. मानद सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI घरेलू मैचों की मेजबानी, टीमों के आवासन, भोजन, क्रिकेट कैपों, ड्रेस की खरीद, टीम मैनेजर्स की नियुक्ति एवं संबंधित सभी व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। इस संबंध में सचिव द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का अनुमोदित निर्णय माना जाएगा।

एजेंडा संख्या -9- To consider and decide the advance payment to the Vendors & Suppliers for the upcoming season.



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

निर्णय: बैठक में उपस्थित आईसीए प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार एवं श्री राजेश कुमार (जिला प्रतिनिधि) ने बताया कि पिछले वर्ष आपूतिकर्ता, वेंडर्स एवं अन्य को अग्रिम भुगतान करने के कारण बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने लगभग चालीस-पचास लाख तक खर्च में कटौती की है। इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत चर्चा उपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को यह अधिकार प्रदान किया कि आवश्यकता पड़ने पर आपूतिकर्ता, वेंडर्स एवं अन्य को अग्रिम भुगतान मानद सचिव कर सकते हैं। इस संबंध में सचिव द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का अनुमोदित निर्णय माना जाएगा।

एजेंडा संख्या -10- To transact any other business with the permission of the Chair.

1. होटल एवं वेंडर्स के लंबित भुगतान के सम्बन्ध में

माननीय अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत बैठक में उपस्थित जिला प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के संज्ञान में यह विषय रखा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित कुछ होटल एवं वेंडर्स के भुगतान पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित होटल एवं वेंडर्स के प्रतिनिधि उनके संपर्क में हैं तथा अपने-अपने लंबित भुगतान के निस्तारण हेतु बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करने की बात कह रहे हैं। श्री राजेश कुमार ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से अनुरोध किया कि ऐसे पुराने लंबित भुगतान के मामलों की समीक्षा कर उनके निस्तारण हेतु आवश्यक निर्णय लिया जाना उचित होगा। उक्त विषय पर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान यह विचार व्यक्त किया गया कि पुराने लंबित दावों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों, बिल/इनवॉइस, कायदिश/अनुमोदन, संबंधित सेवाओं अथवा आपूर्ति की पुष्टि तथा पूर्व में किए गए भुगतान, यदि कोई हो, का समुचित सत्यापन किया जाना आवश्यक है, ताकि केवल वास्तविक एवं देय दावों का ही निस्तारण किया जा सके।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया:

1. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित पुराने लंबित होटल एवं वेंडर भुगतान के मामलों की मामला-दर-मामला समीक्षा एवं सत्यापन किया जाएगा। उक्त समीक्षा के दौरान उपलब्ध अभिलेखों, बिल/इनवॉइस, संबंधित अनुमोदनों, कायदिश/सेवा अथवा आपूर्ति के प्रमाण, पूर्व भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
2. संबंधित होटल एवं वेंडर्स के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यकतानुसार वार्ता एवं दावे के सत्यापन के उपरांत, जो राशि वास्तविक रूप से देय एवं प्रमाणित पाई जाए, उसके भुगतान/निस्तारण हेतु सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अधिकृत किया जाता है।
3. यदि किसी मामले में मूल दावे की राशि, ब्याज, विलंब शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार की राशि का विवाद हो, तो सचिव संबंधित पक्ष के साथ वार्ता कर उपलब्ध अभिलेखों एवं BCA के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले के निस्तारण का निर्णय ले सकते हैं।
4. सचिव द्वारा प्रत्येक मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं किए गए सत्यापन के आधार पर लिया गया निर्णय, तथा उसके आधार पर की गई भुगतान संबंधी कार्यवाई, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का अनुमोदित निर्णय माना जाएगा।
5. प्रत्येक भुगतान से संबंधित अभिलेख, सत्यापन रिपोर्ट/नोट, संबंधित बिल/दस्तावेज एवं भुगतान का प्रमाण बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में लेखा-परीक्षण, वित्तीय समीक्षा अथवा किसी अन्य वैधानिक आवश्यकता के समय उसका संदर्भ लिया जा सके।



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

6. यह केवल पूर्व में लंबित एवं सत्यापित देनदारियों के निस्तारण के लिए है और इसका अर्थ किसी ऐसे नए दावे, अतिरिक्त देयता अथवा ऐसे भुगतान की स्वीकृति नहीं माना जाएगा जो बीसीए के अभिलेखों एवं सत्यापन के आधार पर देय न हो।
उपरोक्त निर्णय सर्वसम्मति से पारित एवं अनुमोदित किया गया।

2. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक कार की व्यवस्था के सम्बन्ध में

माननीय अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद बैठक में उपस्थित सचिव श्री जियाऊल आरफिन ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए मासिक शुल्क पर गाड़ी लेने की आवश्यकता है। सचिव ने बताया कि BCCI घरेलू मैचों की मेजबानी इस बार राजगीर में करवाने का प्रस्ताव है। बार-बार गाड़ी लेने पर बीसीए पर आर्थिक भार अधिक पड़ रहा है। इस विषय पर भी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के निर्णय की आवश्यकता है। इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत चर्चा उपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस संबंध में निर्णय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की आगामी बैठक में लिया जाएगा।

3. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं संबद्ध जिला क्रिकेट संघों हेतु खिलाड़ी पंजीकरण, पात्रता एवं अंतर-जिला स्थानांतरण नियमावली, 2026

माननीय अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद बैठक में उपस्थित आईसीए प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार जिला प्रतिनिधि के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं संबद्ध जिला क्रिकेट संघों हेतु खिलाड़ी पंजीकरण, पात्रता एवं अंतर-जिला स्थानांतरण नियमावली, 2026 बनायीं गई है। इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। एक-एक नियम को देखा गया और उस पर चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा उपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से "बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं संबद्ध जिला क्रिकेट संघों हेतु खिलाड़ी पंजीकरण, पात्रता एवं अंतर-जिला स्थानांतरण नियमावली, 2026" पारित किया।

धन्यवाद ज्ञापन

अन्य कोई विषय विचारार्थ शेष न रहने पर मानद अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का सहभागिता एवं सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की।

उपर्युक्त Minutes दिनांक 09-07-2026 को आयोजित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक की कार्यवाही एवं लिए गए निर्णयों का यथासंभव पूर्ण अभिलेख हैं।

सभाध्यक्ष